



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 5]

नई दिल्ली, जनवरी 27—फरवरी 2, 2019, शनिवार/माघ 7—माघ 13, 1940

No. 5]

NEW DELHI, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2019, SATURDAY/MAGHA 7—MAGHA—13, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 36.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राइफल्स (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. असम राइफल्स (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।”;

3. उक्त नियमों के अनुसूची में,

(1) हवलदार (लाइनमैन फील्ड) के पद से संबंधित क्रम संख्या (1) के सामने, —

(क) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर —4(रु. 25,500 — 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में,

(i) “वेतन बैंड — 1, रु. 5200—20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर—3 (रु. 21700 —69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(2) हवलदार (वाहन मैकेनिक/फिटर) के पद से संबंधित क्रम संख्या (2) के सामने, —

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“ स्तर —4(रु. 25,500 — 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में प्रोन्नति के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) प्रोन्नति :—

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (रु. 21700 — 69100) में ऐसे राइफलमैन (यान मैकेनिक/फिटर) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हैं, अर्थात्:—

(i) मानचित्र पठन स्तर दो

(ii) प्रोन्नति काडर (एन काडर)

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(3) हवलदार (बिजली मिस्ट्रीयान) के पद से संबंधित क्रम संख्या (3) के सामने —

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“ स्तर —4(रु. 25,500 — 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में प्रोन्नति के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) प्रोन्नति :—

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (रु. 21700 — 69100) में ऐसे राइफलमैन (बिजली मिस्ट्रीयान) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हैं, अर्थात्:—

(i) मानचित्र पठन स्तर दो ;

(ii) प्रोन्नति काडर (एन काडर)

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(4) हवलदार (बिजली फिटर संकेत) के पद से संबंधित क्रम संख्या (4) के सामने, —

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4(रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में प्रोन्नति के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) प्रोन्नति:-

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (रु. 21700 - 69100) में ऐसे राइफलमैन (विद्युत फिटर संकेत) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हैं, अर्थात्:-

(i) मानचित्र पठन स्तर दो

(ii) बिजली मिस्त्री फिटर सिगनल स्तर दो,

(iii) प्रोन्नति काडर (एन काडर)

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(5) हवलदार (इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या (5) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4(रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(6) हवलदार (शिल्पी इंजीनियर) के पद से संबंधित क्रम संख्या (6) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4 (रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(7) हवलदार (आयुधिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या (7) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4 (रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

- (i) "वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)" रखा जाएगा;
- (ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;
- (8) हवलदार (धातुकार) के पद से संबंधित क्रम संख्या (8) के सामने, -
- (क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-
- " स्तर -4 (रु. 25,500 - 81,100)";
- (ख) स्तंभ (11) में, -
- (i) "वेतन बैंड - 1 रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रु. 21700 - 69100)" रखा जाएगा;
- (ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;
- (9) हवलदार (वैल्डर) के पद से संबंधित क्रम संख्या (9) के सामने, -
- (क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-
- " स्तर -4(रु. 25,500 - 81,100)";
- (ख) स्तंभ (11) में, -
- (i) "वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)" रखा जाएगा;
- (ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;
- (10) हवलदार (पोशिष) के पद से संबंधित क्रम संख्या (10) के सामने, -
- (क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-
- " स्तर -4 (रु. 25,500 - 81,100)";
- (ख) स्तंभ (11) में, -
- (i) "वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)" रखा जाएगा;
- (ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;
- (11) हवलदार (नक्शानवीस) के पद से संबंधित क्रम संख्या (11) के सामने, -
- (क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-
- " स्तर -4 (रु. 25,500 - 81,100)";
- (ख) स्तंभ (11) में, -
- (i) "वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)" रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(12) हवलदार (उपस्कर मिस्त्री/मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 12) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4(रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(13) हवलदार (स्टोर कीपर तकनीकी इंजीनियर) के पद से संबंधित क्रम संख्या (13) के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4(रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(14) हवलदार (स्टोर कीपर तकनीकी संकेत) के पद से संबंधित क्रम संख्या (14) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4(रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(15) हवलदार (सर्वेक्षक) के पद से संबंधित क्रम संख्या (15) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4(रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(16) हवलदार (मिस्त्री) के पद से संबंधित क्रम संख्या (16) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4(रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(17) हवलदार (बढ़ई) के पद से संबंधित क्रम संख्या (17) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -4(रु. 25,500 - 81,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(18) राइफलमैन (लाइनमैन फील्ड) के पद से संबंधित क्रम संख्या (18) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -3(रु. 21,700 - 69,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(19) राइफलमैन (बिजली मिस्त्री मैकेनिक यान) के पद से संबंधित क्रम संख्या (19) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -3(रु. 21,700 - 69,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(20) राइफलमैन (इलेक्ट्रिशियन फिटर संकेत) के पद से संबंधित क्रम संख्या (20) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -3(रु. 21,700 - 69,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(21) राइफलमैन (इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या (21) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -3(रु. 21,700 - 69,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, - “वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(22) राइफलमैन (शिल्पी इंजीनियर) के पद से संबंधित क्रम संख्या (22) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -3(रु. 21,700 - 69,100)”;

(23) राइफलमैन (आयुधिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या (23) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -3(रु. 21,700 - 69,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, - “वेतन बैंड - 1, रु. 5200 - 20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(24) राइफलमैन (धातुकार) के पद से संबंधित क्रम संख्या (24) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -3(रु. 21,700 - 69,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, - “वेतन बैंड - 1, रु. 5200 - 20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100)” रखा जाएगा;

(25) राइफलमैन (नलसाज) के पद से संबंधित क्रम संख्या (25) के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर -3(रु. 21,700 - 69,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में,—“वेतन बैंड—1, रु. 5200 – 20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—3 (रु. 21700 – 69100)” रखा जाएगा;

(26) राइफलमैन (वेल्डर) के पद से संबंधित क्रम संख्या (26) के सामने, —

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर —3(रु. 21,700 – 69,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में,—“वेतन बैंड—1, रु. 5200—20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—3 (रु. 21700 – 69100)” रखा जाएगा;

(27) राइफलमैन (पोशिश) के पद से संबंधित क्रम संख्या (27) के सामने, —

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर —3(रु. 21,700 – 69,100)”;

(ख) स्तंभ (11) में, —

(i) “वेतन बैंड – 1, रु. 5200—20200 और ग्रेड वेतन रु. 2000” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—3 (रु. 21700 – 69100)” रखा जाएगा;

(ii) पैरा (क) में “वेल्डर” शब्द के स्थान पर शब्द “पोशिश” रखा जाएगा।

(28) राइफलमैन (नक्शानवीस) के पद से संबंधित क्रम संख्या (28) के सामने कालम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ स्तर —3 (रु. 21,700 – 69,100)”;

[फा.सं. क/कार्मिक/संशोधन आर आर/गुप सी/2018]

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 27 जून, 2015 के अधिसूचना सं० सा० का० नि० 120, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th December, 2018

G.S.R. 36.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Assam Rifles (Group ‘C’ Combatised Posts) Recruitment Rules, 2015, namely: —

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Assam Rifles (Group ‘C’ Combatised Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assam Rifles (Group ‘C’ Combatised Posts) Recruitment Rules, 2015 (herein after referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: —

“2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules”;

3. In the said rules, in the Schedule,

(1) against serial number (1), relating to the post of Havildar (Lineman Field),-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix
(4)
Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

(b) in column (11),-

(i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(2) against serial number (2), relating to the post of Havildar (Vehicle Mechanic/Fitter),-

(a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

(b) in column (11),-

(i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(3) against serial number (3), relating to the post of Havildar (Electrician Mechanic Vehicle),-

(a) in column (4), for the entries , the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

(b) in column (11),-

(i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

- (4) against serial number (4), relating to the post of Havildar (Electrical Fitter Signal),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

- (b) in column (11),-
- (i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (5) against serial number (5), relating to the post of Havildar (Engineer Equipment Mechanic),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

- (b) in column (11),-
- (i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (6) against serial number (6), relating to the post of Havildar (Engineer Artificer),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

- (b) in column (11),-
- (i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (7) against serial number (7), relating to the post of Havildar (Armourer),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

- (b) in column (11),-

- (i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (8) against serial number (8), relating to the post of Havildar (Metalsmith),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level-4 (Rs. 25500-81100)”;
- (b) in column (11),-
- (i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (ii) Notes 2 shall be omitted;
- (9) against serial number (9), relating to the post of Havildar (Welder),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level-4 (Rs. 25500-81100)”;
- (b) in column (11),-
- (i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (10) against serial number (10), relating to the post of Havildar (Upholster),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level-4 (Rs. 25500-81100)”;
- (b) in column (11),-
- (i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (11) against serial number (11), relating to the post of Havildar (Draftsman),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

- (b) in column (11),-
- (i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (12) against serial number (12), relating to the post of Havildar (Instrument Repairer/Mechanic),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

- (b) in column (11),-
- (i) for the words, figures and letters “Pay Band-1, Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (13) against serial number (13), relating to the post of Havildar (Store Keeper Technical Engineer),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

- (b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (14) against serial number (14), relating to the post of Havildar (Store Keeper Technical Signals),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

- (b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200- 20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;
- (15) against serial number (15), relating to the post of Havildar (Surveyor),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

(b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(16) against serial number (16), relating to the post of Havildar (Mason),-

(a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

(b) in column (11),-

(i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(17) against serial number (17), relating to the post of Havildar (Carpenter),-

(a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100)”;

(b) in column (11),-

(i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(18) against serial number (18), relating to the post of Rifleman (Lineman Field),-

(a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs 21700-69100)”;

(b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200- 20200and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters“level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(19) against serial number (19), relating to the post of Rifleman (Electrician Mechanic Vehicle),-

(a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

(b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

- (20) against serial number (20), relating to the post of Rifleman (Electrical Fitter Signal),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

- (21) against serial number (21), relating to the post of Rifleman (Engineer Equipment Mechanic),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

(b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

- (22) against serial number (22), relating to the post of Rifleman (Engineer Artificer), in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

- (23) against serial number (23), relating to the post of Rifleman (Armourer),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

(b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200- 20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

- (24) against serial number (24), relating to the post of Rifleman (Metalsmith),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

(b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

- (25) against serial number (25), relating to the post of Rifleman (Plumber),-
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

(b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(26) against serial number (26), relating to the post of Rifleman (Welder),-

(a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

(b) in column (11), for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(27) against serial number (27), relating to the post of Rifleman (Upholster),-

(a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

(b) in column (11),-

(i) for the words, figures and letters “ Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2000”, the words, figures, brackets and letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)” shall be substituted;

(ii) in para (i), for the word, “Welder”, the word, “Upholster” shall be substituted;

(28) against serial number (28), relating to the post of Rifleman (Draftsman), in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100)”;

[F. No. A/Pers/Amdt RR/Gp C/2018]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 27th June, 2015 vide notification number G.S.R 120, dated the 16th June, 2015.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 37.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राइफल्स में पैरा मेडिकल स्टाफ (भेषजज्ञ) समूह 'ग' योद्धक पद भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स पैरा मेडिकल स्टाफ (भेषजज्ञ) समूह 'ग' योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. असम राइफल्स में पैरा मेडिकल स्टाफ (भेषजज्ञ) समूह 'ग' योद्धक पद भर्ती नियम, 2012 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।”

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

(क) स्तंभ (4) में, शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर —5(रु. 29200 — 92300)”;

(ख) स्तंभ (7) में, “आवश्यक” शीर्षक के अधीन पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मसी में डिप्लोमा के साथ-साथ दो साल की अवधि की प्रशिक्षुता प्रशिक्षण सहित कम से कम तीन माह की अवधि में पाँच सौ घंटे से कम की अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण अवश्य किया हो :

परंतु कम से कम दो सौ पचास घंटे दवा के नुस्खे अथवा पर्ची तैयार करने के कार्य में वास्तविक रूप में समर्पित रहा हो।”

[फा./सं. क/कार्मिक/संशोधन आरआर/वाअ0 फार्मा/2018]

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 125, तारीख 01 जून 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 16 जुलाई 2016 से प्रकाशित किए गए।

New Delhi, the 24th December, 2018

G.S.R. 37—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Assam Rifles Para-Medical Staff (Pharmacist) Group ‘C’ Combatised posts Recruitment Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Assam Rifles Para-Medical Staff (Pharmacist) Group ‘C’ Combatised posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assam Rifles Para-Medical Staff (Pharmacist) Group ‘C’ Combatised posts Recruitment Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of posts its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.”

3. In the said rules, in the Schedule, -

(A) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix
(4)
Level-5 (Rs 29200-92300/-);

(B) in column (7), under heading “Essential”, for paragraph (b), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(b) Diploma in Pharmacy from any recognised Institution of the Central Government or a State Government for which the period of training in two years followed by an internship of which the practical training shall not be less than five hundred hours spread over a period of not less than three months:

Provided that not less than two hundred and fifty hours are devoted to actual dispensing of prescriptions;”.

[F. No. A/Pers/Amdt RRs/WO Pharm/2018]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 16th July, 2016 vide notification number G.S.R 125, dated the 1st June, 2016.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उससे बद्ध वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोभत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या लम्बी वीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :-</p> <p>(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, और</p> <p>(ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p>

<p>पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहे हो या इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो;</p> <p>और</p> <p>(ii) हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अर्न्तगत भारत सरकार के उपक्रम हैं, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार</p>			
--	--	--	--

अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) - अध्यक्ष (2) निदेशक (टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम) - सदस्य (3) उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.ए-12018/11/2017-ई.पी.आई.]

गोपाल कृष्ण शुक्ल, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd January, 2019

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Junior Translator (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix and pay scale.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non - selection	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	1*(2019) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty years. Note1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and</p> <p>(ii) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office, including</p>	Not applicable	Two years	<p>By Direct Recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government:-</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department: and</p> <p>(b) possessing educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>(The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>

<p>Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(i) Deputy Director General (Public Health) : Chairman</p> <p>(ii) Director (Expanded Programme of Immunization) : Member</p> <p>(iii) Deputy Director (Administration) : Member</p> <p>(iv) Administrative Officer, BCG Vaccine Laboratory : Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/11/2017-EPI]

GOPAL KRISHNA SHUKLA, Dy. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान और उसके प्रादेशिक भाषा केन्द्र (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2010 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान और उसके प्रादेशिक भाषा केन्द्र (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2010 (जिसे इसके बाद मूल नियम कहा जाएगा) में, प्रारंभिक पैरा में

“ राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के द्वारा भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान और उसके प्रादेशिक भाषा केन्द्र (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं”, शब्दों और अंकों के स्थान पर “ राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, और भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान और उसके प्रादेशिक भाषा केन्द्रों (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1987 को, जहाँ तक उनका संबंध निदेशक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुये, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं ” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे, तथा 1 दिसंबर 2010 से रखे गए समझे जाएंगे।

2. मूल नियम में, नियम 1 के, उपनियम (1) में, “(संशोधन) भर्ती नियम, 2010” कोष्ठक, शब्द और संख्या के स्थान पर “भर्ती नियम, 2010” शब्द और संख्या को रखा जाएगा।

[फा. सं. 8-73/2016/एल-II]

संजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन वर्तमान संशोधित नियम के पूर्वव्यापी प्रभाव का, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 01 दिसंबर, 2010 को जीएसआर 945 (अ) दिनांक 01 दिसंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 25th January, 2019

G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Institute of Indian Languages and its Regional Language Centres (Group A and Group B posts), (Amendment) Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. In the Central Institute of Indian Languages and its Regional Language Centres (Group A and Group B posts), (Amendment) Recruitment Rules, 2010, (therein after referred to as the Principal rules), in the opening paragraph for the words and figures “proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Institute of Indian Languages and its regional languages centres (Group A and Group B posts), Recruitment rules, 1987”, the words, figures, brackets and letters “proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Indian Languages and its Regional Language Centres (Group A and Group B posts), Recruitment Rules, 1987, in so far as it relates to the post of Director, except as respect things done or omitted to be done before supersession, the President hereby makes the following rules”, shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, with effect from the 1st day of December, 2010.

2. In the principle rules, in rule 1, in sub-rule (1), for the brackets, words and figures “(Amendment) Recruitment Rules, 2010”, the words and figures “Recruitment Rules, 2010” shall be substituted.

[F. No. 8-73/2016/L-II]

SANJAY KUMAR SINHA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum By giving retrospective effect to the present amendment rules, no person shall be affected adversely.

Note : Principal rules were published in the gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 1st December, 2010 vide GSR 945 (E) dated the 1st December, 2010.

नई दिल्ली 25 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान और उसके प्रादेशिक भाषा केन्द्र (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों को भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान और उसके प्रादेशिक भाषा केन्द्र (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान और उसके प्रादेशिक भाषा केन्द्र (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2010, की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन अथवा अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)
निदेशक	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स 144200 – 218200 रुपये में स्तर 14	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7) लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (8) लागू नहीं होता	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9) लागू नहीं होता	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
---	---	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा (11)	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना (12) लागू नहीं होता	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-		प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

(i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स 131100-216600 रूपये में स्तर 13क या समतुल्य में, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की है;

या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 या समतुल्य में, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में उस 3 वर्ष सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों, अर्थात :

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी एक भारतीय भाषा (भाषा विश्लेषण पर फोकस सहित) में भाषाई या अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान या समाज भाषा विज्ञान या कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भारतीय भाषा में स्नात्कोत्तर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नात्कोत्तर स्तर पर भाषा विज्ञान में एक पेपर सहित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भारतीय भाषा में डाक्टरेट; या

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नात्कोत्तर स्तर पर भाषा विज्ञान में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भारतीय भाषा में डाक्टरेट; या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नात्कोत्तर स्तर पर शिक्षण में 10 वर्षों का अनुभव जिसमें से किसी भी शैक्षिक संस्थान से 03 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।

वांछनीय :

(i) भाषाविज्ञान या भाषा में अनुसंधान कार्य में प्रकाशित किया हो।

(ii) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषय के रूप में एक से अधिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया हो।

(iii) मुख्य विषय के अतिरिक्त, संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान

टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की

अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष
से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 8-73/2016/एल-II]

संजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 01 दिसंबर 2010 को जीएसआर 945 (अ) दिनांक 01 दिसंबर 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात दिनांकजनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर.....(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

New Delhi, 25th January, 2019

G.S.R. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Institute of Indian Languages and its Regional Language Centres (Group A and Group B posts), Recruitment Rules, 2010, namely:—

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Central Institute of Indian Languages and its Regional Language Centres (Group A and Group B posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 2019.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Institute of Indian Languages and its Regional Language Centres (Group A & Group B posts), Recruitment Rules, 2010, for the schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“**SCHEDULE**”

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	1* (2019) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'A', Gazetted Ministerial	Level 14 in Pay Matrix (Rs. 144200-218200)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. (Field of Selection)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short term Contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations:</p> <p>A (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii)with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13A in the pay matrix of Rs. 131100-216600 or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>B. Possessing the following educational qualification and experience, namely:-</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Post Graduate degree in any Indian language specified in the Eighth Schedule to the Constitution with doctorate degree in linguistics or applied linguistics or anthropological linguistics or socio linguistics or computational linguistics in one of the Indian languages (with focus on language analysis) from a recognised University or Institute; or</p> <p>Doctorate in any Indian language specified in the Eighth Schedule to the Constitution with one paper in linguistics at Post Graduate level from a recognised University or Institute; or</p> <p>Doctorate in any Indian language specified in the Eighth Schedule to the Constitution with Post Graduate Diploma in linguistic at Post Graduate from a recognised Institute;</p> <p>(ii) ten years of experience of teaching at PG level in a recognised Institute or University out of which three years of administrative experience in any educational Institution.</p> <p>Desirable</p> <p>(i) Published research work in linguistic or languages.</p>	<p>Not applicable</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

<p>(ii) Studied more than one Indian language as a subject at senior secondary level.</p> <p>(iii) Knowledge of Sanskrit or any other Indian language, other than main subject.</p> <p>Note:</p> <p>Period of deputation (ISTC) Including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 58 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. 8-73/2016/L-II]

SANJAY KUMAR SINHA, Jt. Secy.

Note: Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (i) dated the 1st December, 2010 vide GSR 945 (E) dated the 1st December, 2010 and subsequently amended vide notification number G.S.R. (E) dated January, 2019.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2014, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-2	30* (2019) *प्रादेशिक कार्यालयों में अवस्थित कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है :- *बैंगलोर-03, *भुवनेश्वर-03, *भोपाल-03, *चंडीगढ़-03, *चेन्नई-03, *देहरादून-03, *लखनऊ-03, *नागपुर-03, *रांची-03, *शिलांग-03.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स रु 25500- 81100 में स्तर-4.	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में तीन वर्ष और शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य अर्हता (ii) कौशल परीक्षण सन्नियम:- श्रुतलेख : 80 श.प्र.मि. की दर	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई

पर 10 मिनट प्रतिलेखन : (कम्प्यूटर पर) 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी)			रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित पदधारियों जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।
--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के लिए :- 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — अध्यक्ष 2. उप वनपाल (केन्द्रीय) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय — सदस्य 3. निदेशक या उपसचिव (क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी — सदस्य 5. अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	15* (2019) *प्रादेशिक कार्यालयों में अवस्थित कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है :- *बैंगलोर-02, *भुवनेश्वर-02, *भोपाल-02, *चंडीगढ़-01, *चेन्नई-01, *देहरादून-01, *लखनऊ-02, *नागपुर-01, *रांची-01, *शिलांग-02.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स रु 25500- 81100 में स्तर-4	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स (रु 19900-63200) में स्तर-2 में के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी,—</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने निम्न श्रेणी लिपिक या समतुल्य श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) : —</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — अध्यक्ष उप वनपाल (केन्द्रीय) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय — सदस्य निदेशक या उपसचिव (क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी — सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी — सदस्य 	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. निम्न श्रेणी लिपिक	26* (2019) *प्रादेशिक कार्यालयों में अवस्थित कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है :- *बैंगलोर-03, *भुवनेश्वर-03, *भोपाल-03, *चंडीगढ़-03, *चेन्नई-02, *देहरादून-02, *लखनऊ-03, *नागपुर-02, *रांची-02, *शिलांग-03.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स रु 19900- 63200 में स्तर-2.	अचयन	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में तीन वर्ष और शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य अर्हता। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 श.प्र.मि. या हिन्दी में 30 श.प्र.मि. टंकण गति	हाँ, स्तंभ (7) में उपदर्शित विस्तार तक	दो वर्ष	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) पन्द्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
(i) 10% रिक्तियों संबंधित प्रादेशिक कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स (रु 18000-56900) में स्तर-1 में के ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृन्द में से भरी जाएगी जो बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य अर्हता रखते और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। (ii) 5% रिक्तियों संबंधित प्रादेशिक कार्यालय में ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृन्द में से भरी जाएगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु 18000-56900) में के साथ उस पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति और पुष्टि के लिए : 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उप वनपाल (केन्द्रीय) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी - सदस्य 5. अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. स्टाफ कार ड्राइवर	20* (2019) *प्रादेशिक कार्यालयों में अवस्थित कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है :- *बैंगलोर-02, *भुवनेश्वर-02, *भोपाल-02, *चंडीगढ़-01, *चेन्नई-02, *देहरादून-02, *लखनऊ-02, *नागपुर-02, *रांची-02, *शिलांग-03.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स रु 19900- 63200 में स्तर-2.	लागू नहीं होता	आयु 28 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में तीन वर्ष और शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (क) मोटर कारें या जीपें चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो और मोटर यान की यंत्र-क्रिया का ज्ञान हों, और; (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन से मोटर कारें या जीपें चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो वांछनीय : मान्यताप्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पास प्रमाणपत्र	लागू नहीं होता	दो वर्ष	रोजगार कार्यालय के द्वारा सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सभिति पुष्टि के लिए :- 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उप वनपाल (केन्द्रीय), संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय - सदस्य 3. निदेशक या उपसचिव (क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

	4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी	— सदस्य	
	5. अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी	— सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. बहुकार्य कर्मचारिवृन्द	35 (2019)* *प्रादेशिक कार्यालयों में अवस्थित कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है :- *बैंगलोर-04, *भुवनेश्वर-04, *भोपाल-04, *चंडीगढ़-03, *चेन्नई-03, *देहरादून-03, *लखनऊ-04, *नागपुर-03, *रांची-03, *शिलांग-04.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स रु. 18000- 56900 में स्तर-1.	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में तीन वर्ष और शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पास प्रमाणपत्र।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	रोजगार कार्यालय के द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल पुष्टि के लिए) : 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — अध्यक्ष 2. उप वनपाल (केन्द्रीय) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय — सदस्य 3. निदेशक या उपसचिव (क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी — सदस्य 5. अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता

[फा.सं. 6-21/2010-आर.ओ. (मुख्यालय)]
राजीव जौहरी, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 22nd January, 2019

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2014, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group ‘C’ posts in the Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Group ‘C’ Posts), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backwards Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Stenographer Grade – II	30* (2019) *Subject to variation dependent on workload in Regional Offices located at: *Bangalore-03, *Bhopal-03, *Bhubaneswar-	General Central Service, Group “C”, non-Gazetted, Ministerial	Level-4, Rs. 25500-81100	Not applicable	Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) It is further relaxable by

	03, *Chandigarh-03, *Chennai-03, *Dehradun-03, *Lucknow-03, *Nagpur-03, *Ranchi-03, *Shillong-03.				another five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe and three Years in the case of Other Backward Classes candidates. Note : The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 minutes @ 80 w.p.m. Transcription: 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) (On computer).	Not applicable	Two years	Direct recruitment through Staff Selection Commission Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	GROUP 'C' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE, for confirmation: - 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment, Forest and Climate Change -CHAIRMAN, 2. Deputy Conservator of Forests (Central) of concerned Regional Office -MEMBER 3. Director or Deputy Secretary (Regional Office Headquarters), Ministry of Environment, Forest and Climate Change -MEMBER, 4. An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe -MEMBER, 5. An officer belonging to Minority Community -MEMBER.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Upper Division Clerk	15* (2019) * Subject to variation dependent on workload in Regional Offices located at: *Bangalore-02, *Bhubaneswar-02, *Bhopal-02, *Chandigarh-01, *Chennai-01, *Dehradun-01, *Lucknow-02, *Nagpur-01, *Ranchi-01, *Shillong-02.	General Central Service Group 'C', non-Gazetted, Ministerial	Level-4, Rs. 25500-81100	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Lower Division Clerk in level-2, Rs. 19900-63200 in the Pay Matrix with eight years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the respective Regional Office.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government, - (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately</p>	<p>GROUP 'C' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (for Promotion): -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment, Forest and Climate Change -CHAIRMAN 2. Deputy Conservator of Forests (Central) of concerned Regional Office -MEMBER 3. Director or Deputy Secretary (Regional Office Headquarters), Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MEMBER, 4. An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe -MEMBER, 5. An officer belonging to Minority Community -MEMBER. 	Not applicable

<p>preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service.</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Lower Division Clerk	26* (2019) *Subject to variation dependent on workload in Regional Offices located at: *Bangalore-03, *Bhubaneswar-03, *Bhopal-03, *Chandigarh-03, *Chennai-02, *Dehradun-02, *Lucknow-03, *Nagpur-02, *Ranchi-02, *Shillong-03.	General Central Service Group 'C', non-Gazetted, Ministerial	Level-2, Rs. 19900-63200	Non-selection	Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). It is further relaxable by another five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe and three years in the case of Other Backward Classes candidates. Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th class pass or equivalent qualification from a recognised Board	Yes, to the extent indicated in Column (7)	Two years	(i) Eighty five per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission; and

or University (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer.			(ii) fifteen per cent by promotion.
---	--	--	-------------------------------------

(11)	(12)	(13)
<p>(i) Ten per cent of the vacancies shall be filled from amongst the Multi Tasking Staff in level-1, Rs. 18000-56900 in the pay matrix who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in respective Regional Office.</p> <p>(ii) Five per cent of the vacancies shall be filled on seniority-cum- fitness basis from Multi Tasking Staff employees who have three years regular service in posts in level-1, Rs. 18000-56900 in the pay matrix in the respective Regional Office.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>GROUP 'C' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE for promotion and confirmation: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment, Forest and Climate Change -CHAIRMAN 2. Deputy Conservator of Forests (Central) of concerned Regional Office -MEMBER 3. Director or Deputy Secretary (Regional Office Headquarters), Ministry of Environment, Forest and Climate Change -MEMBER 4. An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe -MEMBER 5. An officer belonging to Minority Community -MEMBER 	Not Applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff Car Driver	20* (2019) * Subject to variation dependent on workload in Regional Offices located at: *Bangalore-02, *Bhopal-02, *Bhubaneswar-02, *Chandigarh-01,	General Central Service Group "C", non-Gazetted, non-Ministerial	Level-2, Rs. 19900-63200	Not applicable	Up to 28 years (relaxable for Government servants up to thirty five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). It is further relaxable by another five years in the case of Scheduled Caste or

	*Chennai-02, *Dehradun-02, *Lucknow-02, *Nagpur-02, *Ranchi-02, *Shillong-03.				Scheduled Tribe and three years in the case of Other Backward Classes candidates. Note: The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications through local employment exchange.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (a) Possessing valid Driving License for driving of Motor Cars or Jeeps and knowledge of Motor mechanism, and; (b) three years experience in driving motor Cars or Jeeps from a recognised Institute or Organisation. Desirable : Matriculation or Industrial Training Institute pass Certificate from a recognised Institute.	Not applicable	Two years	Direct recruitment through Employment Exchange.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	GROUP 'C' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE for confirmation: - 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment, Forest and Climate Change -CHAIRMAN 2. Deputy Conservator of Forests (Central) of concerned Regional Office - MEMBER 3. Director or Deputy Secretary (Regional Office Headquarters), Ministry of Environment, Forest and Climate Change -MEMBER 4. An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe - MEMBER 5. An officer belonging to Minority Community -MEMBER	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Multi -Tasking Staff.	35 (2019)* * Subject to variation dependent on workload in Regional Offices located at: *Bangalore-04, *Bhopal-04, *Bhubaneswar-04, *Chandigarh-03, *Chennai-03, *Dehradun-03, *Lucknow-04, *Nagpur-03, *Ranchi-03, *Shillong-04.	General Central Service Group 'C', non-Gazetted, Ministerial	Level-1, Rs. 18000-56900	Not applicable	Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). It is further relaxable by another five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe and three Years in the case of Other Backward Classes

					candidates. Note: The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of application through local employment exchange.
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from a recognised Board or Industrial Training Institute pass certificate from a recognised Institute	Not applicable	Two years	Direct recruitment through Employment Exchange.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	GROUP 'C' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE for confirmation only: - 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment, Forest and Climate Change -CHAIRMAN 2. Deputy Conservator of Forests (Central) of concerned Regional Office -MEMBER 3. Director or Deputy Secretary (Regional Office Headquarters), Ministry of Environment, Forest & Climate Change - MEMBER 4. An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe -MEMBER 5. An officer belonging to Minority Community -MEMBER.	Not applicable.

[F. No. 6-21/2010-RO(HQ)]

RAJEEV JAUHARI, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**(वाणिज्य विभाग)**

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं मंत्रालय (वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता) अवर श्रेणी लिपिक (वर्ग 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2013 एवं वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, उच्च श्रेणी लिपिक (वर्ग 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2013 तथा वाणिज्य एवं मंत्रालय, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय का कार्यालय, मल्टी टास्किंग स्टाफ, वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 एवं वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय का कार्यालय, आंकड़ा प्रक्रमण सहायक 'ग' भर्ती नियम, 2012 का, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व हो गयी चीजों एवं छूट गयी चीजों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुये वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कोलकाता के कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, मल्टी टास्किंग स्टाफ तथा आंकड़ा प्रक्रमण सहायक के भर्ती पद्धति को अधिनियमित कर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ .— इन नियमों को वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय का कार्यालय, वर्ग 'ग' भर्ती नियम 2019 कहा जाये।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर तथा वेतनमान .—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं अर्हताएं इत्यादि .—उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उस पद से सम्बंधित

अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंकड़ा प्रक्रमण सहायक	129* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर)	सामान्य केन्द्रीय सेवा (वर्ग 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 रु. 25500 - रु.81100	लागू नहीं	18-30 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों हेतु आयु-सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर एवं विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी या समतुल्य विषय में स्नातक । (ii) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अथवा उपयुक्त परीक्षण द्वारा निर्णय किया जाने वाला प्रोग्रामिंग, प्रणाली प्रचालन एवं प्रणाली विश्लेषण का ज्ञान।	लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी : उम्मीदवारों की प्रतिनियुक्ति या लम्बे अवकाश अथवा अन्य अनुमत्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि की रिक्तियों केन्द्र सरकार के निम्न अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं :- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद

<p>टिप्पणी :</p> <p>1. अन्य रूप से सुशिक्षित व्यक्तियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती हैं।</p> <p>2. कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय यदि यह राय बनती है कि उनके द्वारा भरे जाने हेतु पदों के लिये इन समुदायों के अपेक्षित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव के सम्बंध में अर्हता (ओं) में छूट दी जा सकती है/हैं।</p>			<p>धारित करने वाला या</p> <p>(ii) स्तर-2 पद पर 8 वर्षों तक नियमित सेवा या समतुल्य पद धारित करने वाला तथा (ब) कालम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाला ।</p>
---	--	--	---

<p>पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वेतनमान जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है।</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?</p>	<p>परिस्थियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।</p>
(11)	(12)	(13)
<p>लागू नहीं</p>	<p>विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण के विचार हेतु)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक - सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन) का कार्य सुपुर्द अधिकारी - सदस्य सचिव 4. किसी अन्य कार्यालय के उप निदेशक - बाह्य सदस्य 	<p>लागू नहीं।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>उच्च श्रेणी लिपिक</p>	<p>8* (आठ मात्र) (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर)</p>	<p>सामान्य केन्द्रीय सेवा (वर्ग 'ग' अराजपत्रित अनुसूचिवीय)</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 रु. 25500 - रु.81100</p>	<p>अचयन</p>	<p>लागू नहीं</p>

(7)	(8)	(9)	(9)
<p>लागू नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>100 प्रतिशत पदोन्नति से जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर।</p>

<p>(11)</p> <p>पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में अवर श्रेणी लिपिक के वेतनमान में 8 (आठ) वर्षों की नियमित सेवा।</p> <p>टिप्पणी 1. : जब अर्हता सेवा अथवा योग्यता सेवा पूर्ण करने वाले कनिष्ठों की</p>	<p>(12)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक - सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन) का कार्य सुपुर्द अधिकारी सदस्य सचिव 4. किसी अन्य कार्यालय के उप निदेशक - बाह्य सदस्य 	<p>(13)</p> <p>लागू नहीं।</p>
---	--	-------------------------------

<p>पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो तो उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता या योग्यता सेवा अर्हता या योग्यता सेवा के आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो तथा अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक अपने कनिष्ठों के साथ पूर्ण कर लिया हो जिन्होंने ऐसी अर्हता/या योग्यता सेवा पहले ही पूर्ण कर लिया है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी : (अ) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारी या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य पद पर 8 वर्षों की नियमित सेवा (प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति के ठीक पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की अवधि सहित समान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>5. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित समुचित स्तर के अधिकारी - सदस्य</p>	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	18* (अठारह मात्र) (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर)	सामान्य केन्द्रीय सेवा (वर्ग 'ग') अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 रु.19900- रु.63200	अ-चयन	18-27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों हेतु आयु-सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा नियत होगी। आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं या समतुल्य योग्यता। (ii) अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति कम्प्यूटर पर (10500 एचडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप प्रत्येक शब्द हेतु 5 की डिप्रेशन के औसत से 35 शब्द प्रति मिनट)।	हाँ, कालम 10 में बतायी गई सीमा तक	2 वर्ष	(1) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम 85 प्रतिशत। (2) 10 प्रतिशत रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता तथा विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले वर्ग ग-कर्मचारियों में से की जायेंगी। परीक्षा हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अजा/अजजा हेतु 50 वर्ष) टिप्पणी : यदि खण्ड (ii) के तहत उपलब्ध

			<p>रिक्तियों की तुलना में अधिक कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, ऐसे अधिक कर्मचारियों की संख्या परवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों से भरी जायेगी ताकि पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके।</p> <p>(3) 5 प्रतिशत रिक्तियां ग्रेड वेतन 1800 के पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले वर्ग-ग कर्मचारियों में से वरिष्ठता सह उपयुक्ता के आधार पर भरी जायेगी।</p>
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
कालम 10 में यथोक्त	<p>विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु)</p> <p>1. महानिदेशक या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक या संयुक्त निदेशक - सदस्य</p> <p>3. उप निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन) का कार्य सुपुर्द अधिकारी - सदस्य सचिव</p> <p>4. किसी अन्य कार्यालय के उप निदेशक - बाह्य सदस्य</p>	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मल्टी टास्किंग स्टाफ	<p>40*</p> <p>(2019)</p> <p>*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर)</p>	<p>सामान्य केन्द्रीय सेवा (वर्ग 'ग') अराजपत्रित गैर-अनुसचिवीय</p>	स्तर-1	लागू नहीं	<p>18-25 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों हेतु आयु-सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)</p> <p>टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि होगी (एवं असाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पंगी उपप्रभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप-समूह या लक्ष्यद्वीप हेतु निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या X वीं पास	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में उम्मीदवार के एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि हेतु दूर रहने पर हुई रिक्ति को कालम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विहित अर्हता वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाये।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु)। 1. महानिदेशक या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन) का कार्य सुपुर्द अधिकारी - सदस्य सचिव 3. किसी बाह्य कार्यालय के एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं।

[सं. 5(1)/2012-स्था. I]

शुभजीत रॉय, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

New Delhi, the 23rd January, 2019

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Commerce (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata) Lower Division Clerk (Group 'C' Ministerial Post) Recruitment Rules, 2013, and Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Upper Division Clerk, (Group 'C' Ministerial Post) Recruitment Rules, 2013, and Ministry of Commerce & Industry, Office of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2015 and , Office of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Data Processing Assistant (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Multi Tasking Staff and Data Processing Assistants in the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1)These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.**— The number of post, its classification, and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedules annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedules.

4. **Disqualification.**— No person, -

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons while selecting an officer for appointment on deputation.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation to age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Processing Assistant	129 * (2019) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service (Group 'C' Non-gazetted), Non-Ministerial.	Level 4 of the Pay Matrix Rs. 25,500 – 81,100/-	Not Applicable	Between 18 - 30 years of age (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Degree of a recognized University with Science/ Mathematics/ Economics/ Commerce/ Statistics or equivalent. (ii) Diploma or Certificate in Computer Application from a Government recognized institution or knowledge of programming, system operations and system analysis to be judged through suitable tests.	Not Applicable	Two years	By Direct Recruitment Note : Vacancies caused by incumbents being away on deputation or long leave or under other allowable circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government (a)(i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) With 8 years regular service

<p>Note :</p> <p>1. Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		<p>in posts in Level -2 or equivalent and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Col. 7.</p>
--	--	--

<p>In case of Recruitment by promotion/ deputation or transfer grades from which Promotion or deputation or transfer to be made</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists what is the composition?</p>	<p>Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</p>
(11)	(12)	(13)
<p>Not Applicable</p>	<p>Departmental promotion Committee (for considering confirmation)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director General or Head of the Department - Chairman 2. Director/ Joint Director - Member 3. Deputy Director (Admin) or an officer entrusted to do the work of Deputy Director (Admin) - Member. 4. Deputy Director of any other office - outside Member. 	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>Upper Division Clerk</p>	<p>8 * (Eight Only) (2019) *(Subject to variation dependent on work load)</p>	<p>General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial</p>	<p>Level 4 in the Pay Matrix Rs. 25,500 – 81,100/-</p>	<p>Non - selection</p>	<p>Not applicable</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>	<p>100 (Hundred) per cent by promotion failing which by deputation.</p>

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion : Lower Division Clerk in Level 2 of the pay matrix with 8 years regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director General or Head of the Department -Chairman 2. Director or Joint Director - Member 3. Deputy Director (Admin.) or an officer entrusted to do the work of Deputy Director (Admin.) - Member Secretary. 4. Deputy Director of any other office - outside Member 5. An Officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe - Member. 	<p>Not applicable</p>

<p>considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government:- (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk in Level-2 of the pay matrix or equivalent (The period of deputation including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall not ordinarily exceed three years).</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk	18 * (Eighteen Only) (2019) * (Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'C', Non-gazetted, Ministerial	Level 2 in the Pay Matrix Rs. 19,900 – 63,200/-	Non - selection	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission. Crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. correspond to 10500 HDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word)	Yes, to the extent indicated in Colum 10.	Two years	(i) 85% by direct recruitment through SSC (ii) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the Group C staff in the Level 1 of the Pay Matrix and who possess 12 th class pass or equivalent qualifications and have rendered 3 years regular service in the grade on the basis of a Departmental qualifying Examination. The maximum age

			<p>limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the SC/ST)</p> <p>Note: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later Examination.</p> <p>(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority cum fitness from Group C employees who have 3 years regular service in posts with the Grade pay of Rs.1800/-.</p>
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
As stated in column 10	<p>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)</p> <p>1. Director General or Head of the Department - Chairman 2. Director or Joint Director - Member 3. Deputy Director (Admin.) or an officer entrusted to do the work of Deputy Director (Admin) - Member. 4. Deputy Director of any other office - Outside Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi -Tasking Staff.	<p>40* (2019)</p> <p>*Subject to variation dependent on work load.</p>	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1	Not applicable	<p>Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti Districts and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or Class X pass from a recognised Board.	Not applicable	Two years	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent</p>

			being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government possessing the qualification prescribed for direct recruits under column(7).
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Promotional Committee (for considering confirmation)- 1. Director General or Head of the Department -Chairman; 2. Deputy Director (Administration) or an officer entrusted to do the work of Deputy Director (Administration) - Member; 3. An Officer from outside office - Member.	Not applicable.

[F. No. 5(1)/2012-Estt.I]
 SUBHAJIT ROY, Jt. Director/Head of Office